न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3075–दो/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–5–12 पारित **द्वारा तहसीलदार**, सीहोर प्रकरण कमांक 16/अ–12/11–12.

1– श्रीमती मंजू शिवहरे पत्निश्री हरीश कुमार शिवहरे
कृषक ग्राम पचामा प.ह.नं. 46, तहसील सीहोर
द्वारा पुनीत शिवहरे निवासी जी–2317
अरेरा कालोनी भोपाल
2– रामगोपाल आ. श्री किशनलाल शिवहरे
निवासी द्वारा पुनीत शिवहरे निवासी जी–2317
अरेरा कालोनी भोपाल ——— आवेदक

विरूद्ध

1– साहिद अली आत्मज श्री आशिक अली
2– श्रीमती फिरदोस अली पत्नि साहिद अली
दोनों निवासी पुराना किला रेत घाट भोपाल
जिला भोपाल कृषक ग्राम पचामा
तहसील व जिला सीहोर म.प्र. ——— अनावेदकगण

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता, श्री प्रेमसिंह ठाकुर ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 17.06.2014 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, सीहोर के प्रकरण कमांक 16/अ–12/11–12 में पारित आदेश दिनांक 9–5–12 के विरूद्ध विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इसप्रकार हैं कि अनावेदकों द्वारा संहिता की धारा 129 के तहत अपने स्वामित्व की ग्राम पचामा प.ह.नं. 47 तहसील तहसील व जिला सीहोर स्थित भूमिसर्वे नं. 167–372/1, 69/1, 372/1 69/2/2क/1 के सीमांकन हेतु आवेदन दिया जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने दिनांक 16–3–12 को राजस्व निरीक्षक को सीमांकन आदेश जारी कर आवेदित भूमि का सीमांकन एक सप्ताह के भीतर

कर पालन प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश दिए । इस आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक ने कार्यवाही कर अपना प्रतिवेदन दिनांक 22–4–12 को तहसीलदार को प्रस्तुत किया । जिसकी पुष्टि आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने की है । तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि सीमांकन की कार्यवाही एवं पारितआदेश विधि विरूद्ध हैं । राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी नेसीमांकन की कोई सूचना आवेदकों को व्यक्तिशः नहीं दी अपितु अन्य कारिन्दे दिलीप गांधी को दिनांक 21–4–12 को शाम 6.00 बजे दी । अन्य सरहदी काश्तकारों को भी सीमांकन की कोई सूचना नहीं दी गई है, जो कि आवश्यक थी । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त स्थिति को अनदेखा किया है । अनावेदकों ने मनमाने तौर पर मनचाहा सीमांकन कराया जाकर आवेदकों को उसके वैध स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया गया है । उक्त आधार पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं ।

5– आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनावेदक द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पेश किया गया । तहसीलदार के आदेशानुसार राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 22.4.120 को प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रस्ताव की पुष्टि आलोच्य आदेश द्वारा की गई है, जो परीक्षणोपरांत विधिसंगत नहीं पाई जाती है अभिलेख में जो सूचनापत्र संलग्न है उसमें 4 व्यक्तियों को सूचना दिए जाने का उल्लेख है किंतु सूचना पत्र पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है । सूचना पत्र पर दिलीप गांधी नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं तथा सूचना तामील कराने वाले व्यक्ति की निम्न टीप अंकित है – " निवेदन है कि भोपाल में निवास करते हैं । दोंनो परत मैनेजर को दिए । " दिलीप गांधी किसका मैनेजर है इसका कोई उल्लेख नहीं है इस प्रकार इस प्रकरण में जो सूचना दी गई है वह विधिवत नहीं मानी जा सकती और ऐसी सूचना के आधार पर सीमांकन की जो कार्यवाही हुई है वह विधिवत नहीं है । तहसीलदार द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेख कर राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रस्ताव की पुष्टि करने में विधिक त्रुटि की गई है । दर्शित

परिस्थिति में इस प्रकरण में तहसीलदार का आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उभयपक्षों एवं अन्य सरहदी काश्तकारों को विधिवत सूचना देकर तथा उनकी उपस्थिति में मौके पर जांच कर सीमांकन के संबंध में विधिवत आदेश पारित करें ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर